# कार्यालय मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,चित्तौडगढ

कमांकःमु0प्र0 / चि0 / सामा0 / 2025 / दिनांकः– 17.01.2025

## –: निविदा सूचना :–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,चित्तौडगढ आगार में **केन्द्रीय बस स्टेण्ड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम चित्तौडगढ आगार में आगार परिसर में प्लेटफॉर्म/कार्यालय/शौचालय की साफ– सफाई हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।** इच्छुक व्यक्ति फर्म अपनी निविदा भरकर बंद लिफाफे में दिनांक 27.01.2025 को 02:00 बजे तक मुख्य प्रबंधक कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चित्तौडगढ आगार के कार्यालय में जमा करा देवे, ठेका एक वर्ष हित दिया जायेगा। बंद लिफाफे में प्राप्त निविदाओ को उसी दिनांक 27.01.2025 को 03:00 बजे खोला जायेगा, निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता का होगा। जिस फर्म/व्यक्ति के नाम निविदाये स्वीकृत की जायेगी।

### –: निविदा संबधित नियम व शर्ते :–

1. प्लेटफॉर्म की धुलाई एवं प्रतिदिन पोछा प्रातः 05.00, दोपहर 12:00 शाम 05:00 बजे लगाना होगा व दो बार प्रातः/शाम में झाडू लगाना होगा।
2. आगार परिसर तथा व लेटफॉर्म पर हर घंटे में झाडू निकालनी होगी व कचरा पात्र के अलावा कही भी कचरा इकट्ठा नही किया जायेगा व एक कर्मचारी हर समय प्लेटफॉर्म पर उपस्थित रहना होगा।
3. अनुबंधकर्ता ठेकेदार को सफाई संबधित सामग्री जेसे फिनाईल,पोछा, तेजाब, झाडू, साबुन, सोडा इत्यादि व्यवस्था स्वंय के खर्चे पर करनी होगी। निगम द्वारा किसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नही करायी जायेगी।
4. प्रतिदिन पोछे में काम लाया जाने वाला पानी निगम के पास उपलब्ध होने पर निगम द्वारा दिया जायेगा अन्यथा अनुबंधकर्ता को स्वंय के खर्च पर पानी लाना होगा।
5. सफाई व्यवस्था के लिये अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश की पालना ठेकेदार को करनी होगी एवं बिना विवाद के कार्य करना होगा।
6. सफाई कार्य हेतु कम से कम दो कर्मचारी रखने होगे एवं कर्मचारी को दो शिफ्ट में होगे।
7. सफाई कर्मचारी की ड्यूटी यदि दो पारियों में नही रखी जायेगी तो निगम नियमानुसार ठेका राशि में कटौती कर जावेगी, जिसकी पूर्णतया जिम्मेदारी, अनुबन्धकर्ता की होगी।
8. सफाई की ठेका अवधि एक वर्ष के लिए रहेगी। सफाई कार्य अच्छा होने पर ठेका बढाया जायेगा।
9. सफाई करते समय किसी कर्मचारी की मृत्यु या अपग हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे संबधित मुवावजा इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकाकर्मी की होगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम किसी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा।
10. ठेकेदार सफाई का ठेका अन्य किसी को सबलेट नही कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका स्वतः समाप्त हो जायेगा।
11. निगम को अनुबंधकर्ता ठेकेदार को नोटिस दिये बिना अनुबंध ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. ठेकेदार के भुगतान से सी0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं आयकर की राशि की नियमानुसार कटोती की जायेगी।
13. समस्त पीकदान, थुकदान की सफाई करनी होगी एवं पीकदानो की मिट्टी का परिर्वतन सप्ताह में एक दिन करना होगा।
14. भविष्य में प्रस्तुत की जाने वाली शर्ते निविदादाताओं को माननी होगी।
15. केन्द्रीय बस स्टेण्ड प्लेटफॉर्म एवं कार्यालय परिसर व कार्यशाला परिसर का कचरा निगम परिसर से बाहर ले जाना होगां जिसको स्वंय के खर्चे पर उठाया जायेगा।
16. प्लेटफॉर्म व कार्यशाला में रखे सभी डस्टबीन की सफाई प्रतिदिन की जायेगी एवं प्लेटफॉर्म व आगार कार्यशाला में पर किसी प्रकार का कचरा गन्दगी होने पर तुरत झाडू पोछा लगाया जायेगा।
17. यात्री कर्मचारी द्वारा गन्दगी बताये जाने पर तुरत उस स्थान की सफाई करवाई जायेगी।
18. सभी प्रकार के करो का भुगतान एवं श्रम कानूनों कर पालना करने का दायित्व निविदादाताओं का होगा।
19. निविदादाताओं को अर्नेस्ट मनी के रूप मे 5000 रू आगार कार्यालय में नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा सम्बंधित मुख्य प्रबंधक कार्यालय में जमा कराना होगा।
20. कोई भी विवाद होने की स्थिति में निगम प्रबंध निदेशक का निर्णय सर्वमान्य होगा।
21. किसी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम का होगा।
22. निगम के आगारो में उपलब्ध वाहनों की संलग्न सूची में 10 प्रतिशत की कमी वृद्वि संभव है।
23. कार्य मे लापरवाही बरती जाने पर अनुबन्धकर्ता के विरूद्व जुर्माना लगाने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

(राकेश सारस्वत)
मुख्य प्रबंधक, चित्तौडगढ

कमांकः मु0प्र0 / चि0 / सामा0 / 2025 / 15 दिनांक – 17.01.2025

प्रतिलिपिः–1. नोटिस बोर्ड आगार कार्यशाला /बस स्टेण्ड ,चित्तौडगढ आगार।
2. नगर परिषद नोटिस बोर्ड / रेल्वे स्टेशन नोटिस बोर्ड चित्तौडगढ।
3. आदेश पत्रावली

(राकेश सारस्वत)
मुख्य प्रबंधक, चित्तौडगढ